

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

काजू उद्योग का संकट

2742. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार काजू उद्योग को संकट से बचाने का प्रस्ताव रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल सरकार द्वारा बैंकों और काजू उद्योग के हितधारकों के साथ चर्चा के बाद घोषित पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वित करने हेतु बैंकों को निर्देश देने के लिए कार्रवाई आरंभ की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काजू उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निर्णयों के कार्यान्वयन से छूट दी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने काजू उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में उल्लंघन हेतु एसबीआई के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार का प्रस्ताव काजू उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु घोषित पैकेज को कार्यान्वित करने हेतु एसबीआई को कठोर निर्देश देने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ङ): वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के अंतर्गत अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए तीन घटकों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है: (i) निर्यात अवसरचना का विकास,

(ii) गुणवत्ता विकास, (iii) बाजार विकास। इस योजना के दिशानिर्देश <https://apeda.gov.in/FinancialAssistanceSchemes> पर उपलब्ध हैं। एपीईडीए ने निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए काजू प्रसंस्करण इकाइयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए और कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 9 आवेदकों को 5.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति (आईपीए) प्रदान की गई।

इसके अलावा, केरल राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) ने काजू क्षेत्र को सहयोग और संरक्षण देने के लिए केरल राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। एसएलबीसी केरल ने काजू पुनरुद्धार समिति के समन्वय से इस क्षेत्र के लिए एक विशेष एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसे सरकार द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। यह योजना पर्याप्त राहत प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को आधार राशि के 50% पर और 2 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इकाइयों को आधार राशि के 60% पर निपटान दिया जा सकता है। इस योजना की समय-सीमा को सरकारी आदेशों के माध्यम से लगातार बढ़ाया गया है और निरंतर समर्थन प्राप्त हो रहा है।

किसी भी सदस्य बैंक को पुनरुद्धार संबंधी निर्णयों पर विचार करने और उन पर कार्रवाई करने से छूट देने का कोई प्रावधान एसएलबीसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि, सभी ऋण संबंधी नीतियों की तरह, राज्य द्वारा प्रस्तावित विशेष ओटीएस योजना को अंतिम रूप से अपनाने के लिए किसी भी बैंक के बोर्ड की स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि बैंक अपनी स्वयं की बोर्ड-अनुमोदित नीतियों और अखिल भारतीय परिचालन ढांचे को बनाये रखते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) या किसी अन्य बैंक द्वारा किसी भी उल्लंघन को उनके परिचालन दायित्व के संदर्भ में देखा जाता है। राज्य स्तरीय पुनरुद्धार पैकेज की स्वीकृति और उसका कार्यान्वयन करना मूल रूप से ऋण नीति से जुड़े मामले हैं, और इस प्रकार, आरबीआई के समग्र विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत अंतिम कार्यान्वयन का अधिकार संबंधित बैंकों के पास है।

आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एक विनियमित ऋण वातावरण में, बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे उधारकर्ता की व्यवहार्यता संभावनाओं के अपने आकलन के अनुसार पुनर्गठन संबंधी निर्णयों सहित ऋण संबंधी बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे में निहित विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रहते हुए लें। यह एक सिद्धांत-आधारित, स्थिर ढांचा है, जो बैंकों को समाधान योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है, जो काजू उद्योगों सहित प्रत्येक उधारकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाती है।
